न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 64/2021

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थी
1. कुशवन्त सिंह पुत्र नर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

--निर्णय-- दिनांक : 03/08/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 तर 79 के खाता संख्या 37 के मुरब्बा नम्बर 3, 34, 35, 40, 54/17, 54/20 की कुल 20.943 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से प्रार्थी के पिता के नाम 0.422 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें मेरे पिता का नाम मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह अंकित हो गया है। जबकि मेरे पिता का असल नाम नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह है। जैसा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2048 के खाता संख्या 31 में अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि वर्तमान खाता संख्या में प्रार्थी का नाम मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह की जगह नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह अंकित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण एल.आर.एक्ट की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 37/37 के क्र.स. 20 पर मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 422/20943 हिस्सा जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत 2048 ता 51 के खाता संख्या 31/30 में जगजीत सिंह, नर सिंह, सरदूल सिंह पिसरान बलवन्त सिंह ब.हि.ब. 100 हिस्सा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2052 ता 55 के खाता संख्या 30/31 में जगजीत सिंह, मघर सिंह या नर सिंह, सरदूल सिंह पिसरान बलवन्त सिंह ब.हि.ब. 100 हिस्सा दर्ज है। जो कि मघर सिंह या नर सिंह (अपठनीय) प्रतीत होता है। जिसे पढा नहीं जा रहा है। जमाबन्दी सम्वत 2056 ता 59 के खाता संख्या 29/30 में जगजीत सिंह, मघर सिंह, सरदूल सिंह पिसरान बलवन्त सिंह ब.हि.ब. 100 हिस्सा दर्ज है। जो कि आज तक वर्तमान जमाबन्दी (ऑनलाईन) में चला आ रहा है। अतः मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सहवन से लिखा गया है। जिसे नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह किया जाना उचित है। भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2048 ता 51 के खाता संख्या 31 में नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह दर्ज है। जो बाद की जमाबन्दियों में मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह किया हुआ है। जो आज दिनांक तक रिकॉर्ड में यथावत है। उक्त नाम को रिकॉर्ड में गलत दर्ज किये हुये लगभग 30 वर्ष हो चूके है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पार्थना पत्र प्रार्थी एंव रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 37/37 में अंकित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
03/08/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

नाम मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह दुरूस्त करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सहवन से लिखा गया है। जिसे नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का नाम मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136-राज़स्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 31/31 में मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

03/08/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक ...03/08/21... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

03/08/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर
दूरभाष नं0— 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

दिनांक :- 03/08/21

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 261

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 64/2021 अनवान कुशवन्त सिंह बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मे पारित **निर्णय दिनांक 03.08.2021 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 31/31 में मघर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर नर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

03/08/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर